



Pandemic Leave Disaster Payment

अगर आपको या आपसे देखभाल प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति को coronavirus (COVID-19) के कारण आत्म-अलगाव या संगरोध करना पड़ रहा है और इसके कारण आप काम करने और आय कमाने में असमर्थ हैं, तो आपकी सहायता के लिए एकमुश्त Pandemic Leave Disaster Payment भुगतान उपलब्ध है।

आपके पास कोई उपयुक्त अवकाश हकदारी नहीं होनी चाहिए, जिसमें महामारी रोग अवकाश, व्यक्तिगत अवकाश या किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल करने के लिए अवकाश भी शामिल हैं।

यदि आपको कोई आय समर्थन भुगतान मिलता है, तो आप दावा नहीं कर सकते हैं।

18 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अलगाव या देखभाल अवधियों के लिए आप myGov के माध्यम से अपने Centrelink online account का उपयोग करके दावा जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास myGov खाता नहीं है, तो आप एक खाता बना सकते हैं।

यदि आपको दावा करने में मदद चाहिए, तो आप हमें **180 22 66** पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो हमें बताएं और हम आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था करेंगे।

अलग-अलग अलगाव या देखभाल अवधियों के लिए अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए servicessaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment पर जाएं।



Pandemic Leave Disaster Payment

Pandemic Leave Disaster Payment is a lump sum payment to help if you are unable to work and earn an income because you or someone you are caring for has to self-isolate or quarantine due to coronavirus (COVID-19).

You must have no suitable leave entitlements including pandemic sick leave, personal leave or leave to care for another person.

You cannot claim if you get any income support payments.

For isolation or caring periods starting from 18 January 2022, you can claim using your Centrelink online account through myGov. If you don't have a myGov account, you can set one up.

If you need help with claiming, you can call us on **180 22 66**. Let us know if you need an interpreter and we will arrange one for free.

There are different rules which may apply for different isolation or caring periods. For more information, go to servicessaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment